तारीख हुक्म	03/40 अशोक कुमार बनाम तहसीलदार **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा संख्या-2832 रकबा-0.11 है., 2833 रकबा 0.60 है., 2834 रकबा 0.55 है., 2835 रकबा 0.65 है., 2836 रकबा 0.80 है. कुल किता-5, कुल रकबा-2.71 है. वाके ग्राम पूनखर, जिसका खाता संख्या 103 है, जिसमे प्रार्थी का 1/50 भाग व 1/5 भाग है व आराजी खसरा संख्या-2813 रकबा 0.05 है., 2814 रकबा 0.04 है., 2815 रकबा 0.95 है. कुल किता-3 कुल रकबा-1.04 है. जिसका खाता संख्या 104 है, जिसमे प्रार्थी का 1/5 भाग व 1/50 भाग है व आराजी खसरा संख्या-2811 रकबा 0.49 है., 2812 रकबा 0.40 है., कुल किता-2, कुल रकबा 0.89 है. जिसका खाता संख्या 450 है, जिसमे प्रार्थी का 1/50 भाग है। जो वाके ग्राम-पूनखर, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर मे स्थित है। प्रार्थी का सही नाम-अशोक कुमार पुत्र हीरालाल है, लेकिन खाता संख्या 103 में क्रम सं. 3 पर अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप, खाता सं. 104 में क्रम सं. 2 पर अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप व खाता संख्या 450 में क्रम सं. 1 पर अशोक पुत्र	

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर)

तारीख हुक्म	अशोक कुमार बनाम तहसीलदार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[ख] अहकाम जो हुक्म की ता[मील] में जारी हु[ए]
	रामस्वरूप दर्ज किया हुआ है। जो एक क्लेरिकल मिस्टेक है, जबकि वास्तव में प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार पुत्र हीरालाल है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार पुत्र हीरालाल है। प्रार्थी के द्वारा कैलाशचन्द पुत्र भौरा ब्राह्मण पूनखर से आराजी जरिये बैयनामा दिनांक-12/09/1991 में खरीद की है। उसके अंदर भी प्रार्थी का नाम अशोक कुमार पुत्र हीरालाल दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में जहां प्रार्थी का नाम हीरालाल पुत्र रामस्वरूप दर्ज है, उसके स्थान पर अशोक कुमार पुत्र हीरालाल संसोधन किये जाने के आदेश फरमाये जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली में तहसीलदार मालाखेड़ा रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक /भू.अ./2025/877, दिनांक-06/10/2025 पेश की गयी, जिसका विवरण इस प्रकार है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पूनखर के खाता सं. 103, खसरा संख्या-2832/0.11, 2833/0.60, 2434/0.55, 2835/0.65, 2836/0.80 अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा	

तारीख हुक्म	अशोक कुमार बनाम तहसीलदार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हि. 1/50, अशोक कुमार पुत्र हीरालाल हि. 1/5 व खाता सं. 104 ख.न. 2813/0.05, 2814/0.04, 2815/0.95 किता-3 कुल रकबा 1.04 मे अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप हि. 1/50, अशोक कुमार पुत्र हीरालाल हि. 1/5 व खाता सं. 450 ख.नं. 2811/0.49, 2812/0.40, किता-2/0.89 मे अशोक पुत्र रामस्वरूप हि. 1/20 जाति ब्राह्मण सा. रेह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि के खाता सं. 103, 104 मे दर्ज अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण नामा. सं. 1741/13.09.2021 किस्म विरासत से आए हैं। मुताबिक नामा. सं. 1741/13.09.2021 किस्म विरासत के प्रार्थी का नाम अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप है, जिसका अंकन जमाबंदी मे किया गया। प्रकरण नामा. की अपील से संबंधित है। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार मालाखेड़ा की रिपोर्ट पर मनन किया कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या नया-103 व 104 मे दर्ज अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप हि. 1/50, जाति-ब्राह्मण सा. रेह खातेदार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट विरासत	

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

तारीख हुक्म	अशोक कुमार बनाम तहसीलदार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामा० संख्या - 1741 दिनांक - 13/09/2021 से अमल हुआ है। अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण नामान्तकरण की अपील से जुड़ा हुआ है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो कि प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र हीरालाल तथा अशोक कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप एक ही व्यक्ति है तथा लिपिकीय त्रुटि से वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी के गलत नाम का अंकन हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)	